रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072023-247353
CG-DL-E-15072023-247353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3009] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
No. 3009] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

का.आ. 3138(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता समाप्त करके सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों और सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

और, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात परियोजना कहा गया है) नामक नई परियोजना आंरभ की है और इस परियोजना के हिस्से के रूप में, फसल सर्वेक्षण के संचालन को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न सरकारी लाभों और सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न उप-प्रणालियों के निर्माण में विभिन्न राज्य सरकारों की सहायता भी कर रहा है और यह परियोजना राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है;

और, परियोजना के अधीन, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा भारत के किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रत्यय-पत्र के रूप में या भौतिक प्रिंट आउट रूप में 'फसल बुवाई प्रमाणपत्र' सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी;

और, उपरोक्त परियोजना में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय अंतर्विष्ट है;

अतः अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(1) इस परियोजना के अधीन सेवाऐं प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या होने अथवा आधार प्रमाणीकरण करवाने का सबूत प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(2) इस परियोजना के अधीन लाभ या सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति (बाल फायदाग्राही की दशा में) के अधीन रहते हुए इस परियोजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बालक या व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और जिले के संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं होने की स्थिति में विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से अथवा स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा;

परंतु जब तक किसी व्यक्ति को आधार नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को इस परियोजना के अधीन लाभ निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अध्यधीन दिया जाएगा, अर्थात्: -

I. 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए:-

(क) यदि बच्चे को पांच वर्ष की आयु (बॉयोमीट्रिक्स संग्रह के साथ) का होने के पश्चात नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मीट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात: -

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; अथवा

(ii) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम अंतर्विष्ट हों; और

(ग) परियोजना के अनुसार लाभार्थी के माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ नातेदारी के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात: -

(i) जन्म प्रमाण पत्र; अथवा समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; अथवा

(ii) राशन कार्ड; अथवा

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड; अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड; अथवा

(iv) पेंशन कार्ड; अथवा

(v) आर्मी कैंटीन कार्ड; अथवा

(vi) कोई भी सरकारी कार्ड; अथवा

(vii) विभाग द्वारा यथविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़:

II. 18 (अठारह) वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए;

(क) यदि उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज में से कोई एक, अर्थात्

(i) फोटो लगी बैंक पासबुक या डाक घर पासबुक; अथवा

(ii) स्थायी खाता संख्या कार्ड; अथवा

(iii) पासपोर्ट; अथवा

(iv) राशन कार्ड; अथवा

(v) मतदाता पहचान पत्र; अथवा

(vi)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जॉब कार्ड; अथवा

(vii) किसान फोटो पासबुक; अथवा

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; अथवा

(x) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

इस परियोजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को परियोजना के अधीन आधार की आवश्यकता से जागरूक कराने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचार तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -

(क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, आइरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा, जिसके लिए विभाग लाभ की निर्बाध रीति में प्रदायगी के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ आइरिस स्कैनर या फेस ऑथेंटिकेशन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) फिंगरप्रिंट या आइरिस या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के सफल न होने की स्थिति में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय की वैधता वाले, यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) द्वारा प्रमाणीकरण करवाया जाएगा;

(ग) अन्य ऐसे सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक अथवा आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथवा टाइम-बेस वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) प्रमाणीकरण संभव नहीं है, परियोजना के अधीन सेवाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ प्रदान किया जाए जिसकी प्रामाणिकता को आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पोंस कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है और क्विक रिस्पोंस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी;

ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बच्चे अथवा व्यक्ति को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने में, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में या किसी बच्चे या व्यक्ति के मामले में जिसको आधार नहीं सौंपा गया है, परियोजना के अधीन लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा और नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए, पैरा 1 के उप-पैराग्राफ (3) के परंतुक के उप-खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करके उसे लाभ दिया जाएगा, और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिया जाता है, उसे अभिलिखित करने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से समय-समय पर पुनर्विलोकन और लेखापरीक्षा की जाएगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस परियोजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित नहीं हो, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संबंधित विभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में यथा-विनिर्दिष्ट, अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

4. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. z-11021/7/2023-डिजिटल एग्रीकल्चर]

प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव

उपाबंध

मैं ई-केवाईसी के प्रयोजन के लिए अपनी आधार संख्या सहित अपनी पहचान की सूचना राज्य और केन्द्रीय सरकारों के साथ अथवा 'डिजिटल फसल सर्वेक्षण' परियोजना के प्रयोजन के लिए हां या नहीं प्रमाणीकरण को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ साक्षा करने की सहमति प्रदान करता हूं। मैं, राज्य और केन्द्रीय सरकार को अपना डेटा सुसंगत रजिस्ट्रियों में डालने के लिए सहमति देता हूं, जिसका उपयोग राज्य और केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सेवाओं एवं कल्याणकारी लाभों को प्रदान करने में तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

मैं, राज्य और केन्दीय सरकार को फसल सर्वेक्षण परियोजना के लिए उपयोग की जाने वाली अपेक्षित रजिस्ट्रियों के सृजन के लिए अपना आधार, अपनी पहचान सूचना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण परियोजना (राज्य द्वारा यथा अपेक्षित अन्य प्रणालियों के नाम जोड़ने के लिए) में उपलब्ध डेटा का उपयोग करने की सहमति देता हूं।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

S.O. 3138(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements and services directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the **Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare** (hereinafter referred to as the Department), has initiated the new Project of Digital Crop Survey (hereinafter referred to as the Project) and also, as a part of this project, supporting various State Government in the **creation of various sub systems** for facilitating conduct of crop survey **and for delivering various Government benefits & services** and this Project is being implemented through the **State Government and Union Territories** (herein after referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the project, various services including 'Crop Sown Certificate', in form of digitally verifiable credentials or in physical print out form would to be provided to the Farmers of India (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Implementing Agencies;

And whereas, the aforesaid project involves recurring expenditure incurred from the Consolidated fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act) the Government of India hereby notifies the following, namely: -

(1) An individual desirous of availing the services under the project, shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit or services under the Project, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children or individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in/ to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil of District the Department through its Implementing Agencies shall

provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming a Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the project shall be given to such individual's subject to production of the following documents, namely: -

I. For children below 18 (eighteen) years old: -

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely: -

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the project namely: -

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

II. For beneficiaries 18 (eighteen) years old or above;

(a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or post office Passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

In order to provide benefits to the beneficiaries under the Project conveniently, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Project.

In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely :-

(a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, services under the project may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

Notwithstanding anything contained herein above, no child or individual shall be denied benefit under the project in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number or in the case of a child or individual to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in sub-clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agencies.

In order to ensure that no bona fide beneficiary under the project is deprived of services, the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India vide number D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

4. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administrations.

[F. No. Z-11021/7/2023-Digital Agriculture]

PRAMOD KUMAR MEHERADA, Addl. Secy.

ANNEXURE

I agree to share my Identity Information along with Aadhaar number with state and central Governments for the purpose of e-KYC or Yes or No Authentication with Unique Identification Authority of India for the purpose of the 'Digital crop survey' project. I also give consent to the state and central government to seed my data into the relevant registries to be used for implementation of this project, for delivering various services and also welfare benefits of State and Central government for making payment through Direct Benefit Transfer.

I also give my consent to State and Central Governments to use my aadhaar, my identity information and my data available into Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, State Direct Benefit Transfer project (to add the names of other systems as required by the State) for creation of required registries to be used for the crop survey project.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA